मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1,तिलक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-31/2015 दिनाँक लखनऊ:अप्रैल 28,2015

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0।

विषय:-विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब तथा अन्य मामलों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

विवेचना में बरती जा रही लापरवाही में सुधार हेतु तथा त्रुटिहीन एवं तथ्यपरक विवेचना के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या:929/छ:-पु0-9-2015 दिनांक 23.04.15 द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब तथा अन्य मामलों में समयबद्ध रूप से कार्यवाही न किए जाने पर मा0 न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक् विचारोपरान्त विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब को रोकने, समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किए जाने हेतु शासन स्तर पर लिए गये निर्णय निम्नवत् है:-

(1) प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचनाओं में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय। विवेचना सम्बन्धी कार्य निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय। विवेचना पूर्ण किए जाने हेतु समय का निर्धारण सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत स्वयं किया जायेगा। यदि विवेचना में अतिरिक्त रूप से समय की आवश्यकता प्रतीत होती होती है तो औचित्यपूर्ण कारण के होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक विवेचना की समयावधि का विस्तार कर सकेंगे।

(2) मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में अपर महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय से निर्देश प्राप्त होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, विवेचक को तत्काल निर्देशित प्रकरण में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने और कृत कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित प्राधिकारी एवं अभियोजन विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें। इस निमित्त जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जायं जिन्हें समय से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाय।

(3) अपहृताओं की बरामदगी के पश्चात् विवेचक द्वारा 164 सीआर.पी.सी. के तहत पीड़िता के कलमबन्द बयान समक्ष न्यायालयों में अनिवार्य रूप से दर्ज कराये जाएं।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उपरोक्त सम्बन्ध में जोन/परिक्षेत्र/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर पर भी अनुश्रवण बैठकें आयोजित कर अनुपालन आख्या शासन एवं इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

(एच0 जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।